केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 21.03.2017

बैंक को 1.08 करोड़ रू. (लगभग) की हानि पहुँचाने पर एस.बी.आई. के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक एवं 05 अन्यों को 05 से 07 वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, मुदुरै (तमिलनाडु) ने एस.बी.आई., पुडुकोट्टाई शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक श्री जे.पी. राधाकृष्णन्न ; तत्कालीन सहायक कैशियर श्री जे राजगोपालन् तथा श्री शेख अमीर, श्री राज कपूर व श्री शिवा (सभी प्राइवेट व्यक्ति) को दोषी ठहराया एवं उन्हे 07 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक अन्य प्राइवेट व्यक्ति श्री शिव रंगास्वामी को 05 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने एस.बी.आई., पुडुकोट्टाई शाखा में कार्यरत मुख्य प्रबन्धक श्री जे.पी. राधाकृष्णन्न ; सहायक कैशियर श्री जे राजगोपालन् एवं 05 प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया एवं जाँच की। ऐसा आरोप था कि वर्ष 2002 के दौरान, आरोपी बैंक अधिकारियों ने प्राइवेट व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र किया तथा गैर मौजूदा फर्म के नाम पर चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान की। उक्त षड़यंत्र के अनुसरण में, आरोपियों ने अभिकथित रूप से यूको बैंक, मुम्बई द्वारा जारी किए गए 19 जाली चेकों को स्वीकार किया जिसे आरोपी प्राइवेट व्यक्तियों के खाते में जमा करा दिया गया और उक्त को भुनाने हेतु उन्हे अनुमति दी। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 1,08,07,599 रू. (लगभग) की हानि हुई। जाँच के पश्चात, सीबीआई ने आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया।

विचारण अदालत ने उक्त आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं एक प्राइवेट व्यक्ति को बरी किया।

****